कमिश्नर वाणिज्य कर ,उत्तर प्रदेश

उपस्थितः- श्री दीपक कुमार ,कमिश्नर वाणिज्य कर , उत्तर प्रदेश ।

प्रार्थी :- **सर्वश्री वी0बी0गुप्ता,32,लक्ष्मीनगर ,सूरजकुंड रोड,मेरठ।**

प्रा0प0सं0- **325/2008**

प्रार्थी की ओर से- **श्री वी0बी0गुप्ता ,स्वामी फर्म।**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम,2008की धारा-59 के अर्न्तगतनिर्णय

1- प्रार्थी के द्वारा दिनांक 27-6-2008 को उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम,2008 की धारा-59 के अर्न्तगत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें काटन क्लाथ कर्टिंग,कपड़े की कतरन (चिन्दी)पर कर की दर की जानकारी चाही गयी है।

2- धारा-59 के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हेतु श्री वी0बी0गुप्ता ,स्वामी फर्म उपस्थित हुयें व उन्होनें उक्त जानकारी देने का अनुरोध किया ।

4- मैनें व्यापारी के धारा-59 के प्रार्थना पत्र में उल्लिखित तथ्यों का अवलोकन किया। श्री श्याम सुन्दर तिवारी पुत्र श्री सीताराम तिवारी,कानपुर(प्रा0 प0सं0-151/2008) में धारा-59 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 03-6-08 में कपड़ा चिन्दी को टैक्सटाइल मानते हुये कोई करदेयता न होने का निर्णय दिया गया है । अतः कपड़ा चिन्दी पर कोई करदेयता नहीं है।

5- प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

6- इस निर्णय की एक प्रति प्रार्थी को तथा एक प्रति सम्बन्धित कर निर्धारक अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाय।

दिनांक :: 2, सितम्बर,2008

ह0 2.9.08

(दीपक कुमार)
कमिश्नर वाणिज्य कर ,
उत्तर प्रदेश,लखनऊ।